न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22/2026 प्रा.पत्र/2026	26.02.2026	02.04.2026

जीसीएमएस नं0 53/2026

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री सतीश मित्तल पुत्र श्री मुरलीधर मित्तल निवासी फूलवारी की गली उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स दिनेश एजेन्सी पुराना कटला गेट उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024 मो.नं. 8107168715
2–मैसर्स दिनेश एजेन्सी पुराना कटला गेट उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024
3–श्री जयप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गुलजारी लाल शर्मा निवासी फुसखानी जिला झुन्झुनु पार्टनर मैसर्स नागवान इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं0 31–32 हनुमान नगर जसलाया वीकेआई जयपुर राज0। मोबाईल नं0 9863606215
4– मैसर्स नागवान इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं0 31–32 हनुमान नगर जसलाया वीकेआई जयपुर राज0। पिनकोड–302013

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अंप्रार्थी सं0 3 श्री जयप्रकाश शर्मा स्वयं उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 02/4/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2025 को समय 03:30 पी.एम. पर मैसर्स दिनेश एजेन्सी पुराना कटला गेट उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री सतीश मित्तल पुत्र श्री मुरलीधर मित्तल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स दिनेश एजेन्सी पुराना कटला गेट उनियारा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, सतीश मित्तल पुत्र श्री मुरलीधर मित्तल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सतीश मित्तल पुत्र श्री मुरलीधर मित्तल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी मसाले के साथ–साथ दुकान की रैंक में लगभग 30 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 250–250 ग्राम **काजू (नागवान ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गया **काजू(नागवान ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(ZX) के अनुसार **अवमानक(Substandard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री जयप्रकाश शर्मा उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **काजू (नागवान ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **काजू (नागवान ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने वारन्टी बिल के आधार पर खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय किया है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाता है, तथा अप्रार्थी सं0 3 व 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुमरतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक